रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2011/भाद्र 18, 1933
No. 1721] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011/BHADRA 18, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2011

का.आ. 2060(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन बांडों को दीर्घावधिक अवसंरचना बांड के रूप में निर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(क) बांड का नाम- बांड का नाम "दीर्घावधिक अवसंरचना बांड होगा"।

(ख) बांड का जारीकर्ता- वित्त वर्ष 2011-12 में जारी किए जाने वाले दीर्घाविधिक अवसंरचना बांड निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाएंगे-

1. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम ;
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत कम्पनी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड;
4. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत कम्पनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत कोई गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी।

(ग) निर्गम की सीमा- (i) बांड वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किया जाएगा; (ii) वित्त वर्ष के दौरान निर्गम की मात्रा वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जारीकर्ता द्वारा किए गए वृद्धिमूलक अवसंरचना निवेश के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी, (iii) इस सीमा के प्रयोजनार्थ निवेश में ऋण, बांड, अन्य प्रकार के ऋण, अर्ध-इक्विटी, वरीयता इक्विटी एवं इक्विटी शामिल होगी।

(घ) बांड की अवधि- (i) बांड की अवधि न्यूनतम दस वर्ष होगी; (ii) निवेशक के लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि पांच वर्ष होगी; (iii) लॉक-इन अवधि के बाद, निवेशक निर्गम के समय निर्गम दस्तावेजों में जारीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट द्वितीयक बाजार के माध्यम से या पुन: खरीद की सुविधा के माध्यम से एक्जिट कर सकता है; (iv) उक्त लॉक- इन अवधि के बाद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बांड गिरवी या ग्रहणाधिकार या बंधक के रूप में भी अनुमत होगा।

(ड.) स्थाई खाता संख्या (पैन) का उल्लेख:- ग्राहकों के लिए जारीकर्ता को अपने पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा;

(च) बंध-पत्र से लाभ:- बंध-पत्र का लाभ बंध-पत्र जारी होने के महीने के ठीक पिछले माह के अन्तिम कार्य-दिवस को भारतीय नियत आय धन बाजार एवं व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा यथा सूचित संगत अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ से अधिक नहीं होगा;

(छ) लाभ तथा रिपोर्टिंग का अन्तिम उपयोग अथवा निगरानी तंत्र:- (i) बंध-पत्र के लाभ को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित 'अवसंरचना ऋणों' के लिए उपयोग किया जाएगा;

(i) जारीकर्ता द्वारा संबंधित विनियामक प्राधिकरण की प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों में अंतिम उपयोग को विधिवत वर्णित किया जाएगा तथा जारीकर्ता के सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विशिष्ट रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) जारीकर्ता इनको भी निबंधन पत्रक के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर अवसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दाखिल करेगा।

[अधिसूचना सं. 50/2011/फा. सं. 178/43/2011-एस ओ (आईटीए-I)]

रमण चोपड़ा, निदेशक-आईटीए-I